[2018] 3 एस. सी. आर 1

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य।

वी.

एम/एस। वेदांत लिमिटेड (पूर्व में ज्ञात)

एस. ई. एस. ए. स्टरलाइट लिमिटेड) और ओ. आर. एस.

(आपराधिक अपील सं। 348-356 2018 का)

मार्च 06,2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस। 451 और 457-मुकदमे के लंबित रहने तक जब्त की गई संपत्ति का निपटान-अवैध रूप से जब्त

भंडारित लौह अयस्क-राज्य ने यू/एस. एस. के तहत आवेदन दायर किया। 451 / 457 सी. आर. पी. सी. ने जब्त किए गए लौह अयस्क को ई-टेंडर द्वारा निपटाने की अनुमति मांगी-विशेष सी. बी. आई. न्यायाधीश ने दिनांक 08.05.2015-के आदेश के माध्यम से आवेदन को मंजूरी दी।

आदेश के खिलाफ, प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाएं-उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं की अनुमति दी और प्रत्यर्थियों के स्वामित्व के पक्ष में लौह अयस्क को जारी करने का निर्देश दिया-आयोजितः जबकि उच्च न्यायालय

रिट याचिका को अनुमति देने के लिए केवल सी. बी. आई. न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 15.12.2015 की अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति पर भरोसा किया गया था जो इसके साथ प्रासंगिक नहीं था।

दिनांक 08.05.2015 के आदेश के संबंध में-लौह अयस्क की जब्ती अपराध संख्या 2/2014 के मामले में नहीं थी जिसमें सीबीआई न्यायाधीश द्वारा 15.12.2015 पर अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है, बल्कि लौह अयस्क की जब्ती एक अलग कार्यवाही में थी जिसमें 08.05.2015 का आदेश पारित किया गया था-जब राज्य द्वारा एस. एस. के तहत दायर एक आवेदन पर लौह अयस्क को जारी किया गया था। 451 / 457 सी. आर. पी. सी. एक अलग कार्यवाही में थी, अपराध संख्या 15.12.2015-उच्च न्यायालय द्वारा 15.12.2015 पर स्वीकार की गई अंतिम रिपोर्ट के बल पर रिट याचिका को अनुमति देने में गलती के मामले में अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति का कोई प्रभाव या परिणाम नहीं था, हालांकि, यह प्रतिवादी के लिए फाइल करने के लिए खुला होगा।

रिहाई के लिए विशेष सीबीआई न्यायाधीश के समक्ष उपयुक्त आवेदन

जब्त लौह अयस्क-कर्नाटक वन अधिनियम, 1963-एस. एस. 2 (7) (ख) (iv), 24 (ई), 62,80-कर्नाटक वन नियम, 1969-आरआर। 143 , 162 .

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. यह स्पष्ट है कि अंतिम रिपोर्ट जो थी

15.12.2015 पर स्वीकार की गई, अपराध संख्या 2/2014 मामले में अंतिम रिपोर्ट थी जिसे 2009 की रिट याचिका संख्या 562 में पारित इस अदालत के आदेश के अनुसरण में एसआईटी द्वारा जांच के बाद दर्ज किया गया था और

[2018] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त मामले में प्रतिवादी के खिलाफ कोई अपराध नहीं पाया गया। दूसरी ओर, 08.05.2015 दिनांकित आदेश विभिन्न कार्यवाहियों में पारित किया गया था, जिसके पंजीकरण से कार्यवाही शुरू हुई

एफ़. आई. आर. दिनांक 15.03.2010, अंकोला पुलिस स्टेशन अपराध सं. 189/2010। [पारस 16,18] [8-डी-ई; 9-जी-एच]

15.12.2015 अपराध सं. 2/2014 के मामले में और उच्च न्यायालय ने 15.12.2015 पर स्वीकार की गई अंतिम रिपोर्ट के बल पर रिट याचिका को अनुमति देने में त्रुटि की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए केवल अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति पर भरोसा किया था सी. बी. आई. न्यायाधीश दिनांक 15.12.2015 द्वारा, जो निचली अदालत द्वारा पारित दिनांक 08.05.2015 के आदेश के संबंध में प्रासंगिक नहीं था। [पैरा 19] [10-एफ-एच]

3. उच्च न्यायालय का आदेश और निर्णय पूरी तरह से है

अस्थिर और इसके द्वारा अलग रखा जाता है। हालाँकि, प्रत्यर्थी के लिए XXXII अतिरिक्त शहर सिविल और सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश के समक्ष एक उचित आवेदन दायर करने के लिए खुला होगा। सी. बी. आई. मामलों, बैंगलोर (सी. सी. एच.-34) के लिए, जब्त किए गए लौह अयस्क के अस्तित्व और उस पर उसके स्वामित्व के अधिकार को स्थापित करके उसे जारी करने के लिए, जिस पर न्यायिक आपराधिक न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है। [पैरा 21] [11-सी-डी]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 348-356 2018 से।

2016 की रिट याचिका संख्या 18941 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 04.07.2017 के निर्णय और आदेश से

(जीएम-एमएम-एस)।

बसव प्रभु एस. पाटिल, वरिष्ठ अधिवक्ता, वी. एन. रघुपति, चिनमय

देशपांडे, परीक्षित अंगाडी, अपीलार्थियों के अधिवक्ता।

ध्रुव मेहता, निनाद लॉड, जयंत मोहन, अंजुमन त्रिपाठी, इवो डी कोस्टा, आदित्य स्वैन, प्रतिवादी के वकील।

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। वी. एम/एस। वेदांत लिमिटेड और ओआरएस।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे. 1. देरी को माफ कर दिया गया। छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश दिनांक 04.07.2017 के खिलाफ रिट याचिका संख्या में दायर की गई है।

18941/2016 और याचिका सं. लिखें। 19328-19335 / 2016 (जी. एम.-एम. एम.-एस)। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 04.07.2017 के फैसले के माध्यम से रिट याचिकाओं को अनुमति दी है।

रिट याचिकाकर्ताओं (यहाँ प्रतिवादी) के पक्ष में लौह अयस्क जारी करने का निर्देश देना।

3. इस अपील पर निर्णय लेने के लिए जिन संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है

ये हैं:

एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 17/2009-10 दिनांकित 15.03.2010 थी

कर्नाटक वन अधिनियम, 1963 की धारा 2 (7) (बी) (iv), 62,80 और कर्नाटक वन अधिनियम, 1963 के नियम 143,162 का उल्लंघन करके लौह अयस्क के अवैध भंडारण के लिए पंजीकृत।

कर्नाटक वन नियम, 1969। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंकोला ने कर्नाटक वन अधिनियम, 1963 की धारा 24 (ई) को शामिल करके आगे की जांच की अनुमति दी। 20.03.2010 पर लगभग 5 लाख मीट्रिक टन अवैध रूप से

भंडारित लौह अयस्क को "जैसा है-जहां है-के आधार पर" जब्त किया गया है और जब्ती की रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंकोला को प्रस्तुत की गई है।

जिन्होंने अगले आदेश तक इसे बनाए रखने की अनुमति दी।

4. दर्ज किया गया एक अन्य मामला सी. बी. आई. अपराध सं. आरसी 17 (ए)/2012। विशेष सी. सी. संख्या 268/2013 में जाँच के बाद आरोप पत्र दायर किए गए थे।

विशेष सी. सी. संख्या 11/2014, विशेष सी. सी. संख्या. 14/2014, विशेष सी. सी. संख्या. 15/2014, विशेष सी. सी. संख्या. 36/2014, विशेष सी. सी. संख्या. 37/2014, विशेष सी. सी. संख्या. 38/2014, विशेष सी. सी. संख्या. 53/2014, विशेष सी. सी. संख्या. 54/2014। राज्य ने धारा 451/457 Cr.P.C. के तहत उपरोक्त मामलों में XXXII अतिरिक्त शहर सिविल और सत्रों के समक्ष एक आवेदन दायर किया।

न्यायाधीश और सी. बी. आई. मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश, बैंगलोर (सी. सी. एच.-34) ने बेलेकेरी बंदरगाह पर पड़े लगभग 2,72,713.347 मीट्रिक टन के 56 लौह अयस्क के ढेर को ई-निविदा द्वारा निपटाने की अनुमति मांगी।

5. जब्त किए गए लौह अयस्क के 56 ढेर के अंतरिम निपटान के लिए आवेदन दायर करने के लिए समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित किए गए थे।

डीवाई द्वारा बेलेकेरी पोर्ट। 29.03.2015 पर वन संरक्षक, कारवार। XXXII अतिरिक्त शहर सिविल और सत्र न्यायाधीश और सीबीआई मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश, बैंगलोर (CCH-34) ने आवेदन पर विचार करने के बाद 08.05.2015 पर एक आदेश पारित किया, जिसमें धारा 451/457 Cr.P.C के तहत आवेदन को अनुमति दी गई। आवेदक/राज्य को आदेश में उल्लिखित कुछ नियमों और शर्तों पर ई-निविदा के माध्यम से जब्त किए गए लौह अयस्क का निपटारा करने की अनुमति दी गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. 08.05.2015 पर पारित आदेश के खिलाफ, रिट याचिका संख्या 18941 /

2016 और याचिका सं. लिखें। 19328-19335 / 2016 (जी. एम.-एम. एम.-एस.) दाखिल किए गए थे बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय में उत्तरदाताओं द्वारा। रिट याचिका में निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गईं:

प्रार्थना करें

इसलिए, बताए गए कारणों और परिस्थितियों के लिए

इसके अलावा, यह अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय इस पर प्रसन्न हो:

(i) प्रमाण पत्र या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करें या 08.05.2015 दिनांकित आदेश को रद्द करने का आदेश या निर्देश पारित किया गया

न्यायालय XXXII द्वारा अतिरिक्त शहर सिविल और सत्र न्यायाधीश और

बंगलौर में सी. बी. आई. मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश (सी. सी. एच. 34)। सी. सी

नं. 268/2013 , 11 , 14 , 15 , 36 , 37 , 38 , 53 & 54 2014 का वीडियो अनुलग्नक

-ए और उससे आगे की सभी परिणामी कार्यवाही, केवल अब तक

जैसा कि याचिकाकर्ता का संबंध है, न्याय और समानता के हित में।

((ii) एक रिट ऑफ मैंडमस या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करें या

आदेश या निर्देश, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें उत्तरदाताओं को निर्देशित करना

04.02.2016,08.02.2016 और दिनांकित अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए

24.02.2016 याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुलग्नक-'पी', 'पी1' और 'पी2' के माध्यम से और याचिकाकर्ता को पूरी सामग्री को हटाने और परिवहन करने की अनुमति दें। से लगभग 34.544 मीट्रिक टन लौह अयस्क की मात्रा

बेलेकेरे बंदरगाह परिसर से याचिकाकर्ता के सुअर लौह संयंत्र तक खनिज प्रेषण अनुमतियों का समर्थन करके गोवा राज्य में अमोना

& वन पारगमन पास और आगे किसी भी भुगतान पर जोर दिए बिना

न्याय और समता के हित में रॉयल्टी। ((ग) ऐसी अन्य उपयुक्त लिखावट या आदेश या निर्देश जारी करें जैसे -

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उपयुक्त माना जाता है, में

न्याय और समानता का हित "।

7. राज्य ने रिट याचिकाओं में इसका विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज की

रिट याचिकाओं में की गई प्रार्थनाएँ। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले और दिनांक 04.07.2017 के आदेश के माध्यम से रिट याचिकाओं की अनुमति दी। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित राज्य इस अपील में आया है।

8. हमने श्री बी. पी. एस. पाटिल को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में सुना है।

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता।

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। वी. एम/एस। वेदांत लिमिटेड और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

9. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को अनुमति देने और रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में लौह अयस्क को जारी करने का निर्देश देने में त्रुटि की है। यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय के फैसले का आधार विद्वान सी. बी. आई. न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 15.12.2015 आदेश के माध्यम से स्वीकार की गई अंतिम रिपोर्ट है। जिसका उस कार्यवाही से कोई लेना-देना नहीं है जिसमें विशेष न्यायाधीश सी. बी. आई. द्वारा 08.05.2015 पर एक आदेश पारित किया गया था। यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ने गलत आधार पर रिट याचिकाओं को अनुमति दी है। यह है।

प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ताओं ने स्वयं विशेष सी. सी. संख्या में एक आवेदन दायर किया है। 268/2013 , 11 , 14 , 15 , 36 , 37 , 38 , 53 & 54 2014 की धारा 451/457 Cr.P.C. दिनांक 08.03.2016 के तहत, निर्देशन के लिए प्रार्थना करते हुए

आवेदक कंपनी के पक्ष में जारी की गई लगभग 34544 मीट्रिक टन लौह अयस्क की पूरी मात्रा, जो आवेदक कंपनी से संबंधित है।

20.03.2010 पर जब्त किया गया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।

10. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपराध सं. 2/2014 दिनांकित 11.07.2014 जिसमें अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और बैंगलोर शहर में XXXII अतिरिक्त शहर सिविल और सत्र न्यायाधीश और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के लिए विशेष न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया एक मामला था जिसे कर्नाटक लोकायुक्ता के विशेष जांच दल द्वारा दर्ज किया गया था, जो पूरी तरह से एक अलग मामला था, जो कार्यवाही से असंबद्ध था, जिसके तहत धारा 451/457 Cr.P.C के तहत एक आवेदन किया गया था।

अनुमति दी गई।

11. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इसका खंडन किया

अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील का निवेदन यह तर्क देता है कि जाँच सी. बी. आई. द्वारा रिट याचिका (सी) संख्या में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुसरण में की गई थी और इस अदालत के विशेष जाँच दल, कर्नाटक लोकायुक्ता, बैंगलोर के आदेशों के तहत जाँच की गई और कर्नाटक लोकायुक्ता एस. आई. टी. पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया, जो कि अपराध संख्या 2/2014 है।

गहन जाँच के बाद, एस. आई. टी. द्वारा दिनांकित एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे अदालत ने 15.12.2015 पर स्वीकार कर लिया। प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं होने पर, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से जब्त किए गए लौह अयस्क को जारी करने का निर्देश दिया है।

प्रत्यर्थी कंपनी से संबंधित लगभग 34544 मीट्रिक टन लौह अयस्क की मात्रा जिसे 20.03.2010 पर जब्त कर लिया गया है और श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आवेदक-कंपनी को आवंटित भूखंड। बेलेकेरी बंदरगाह क्षेत्र में लिमिटेड। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त लौह अयस्क का दावा जब्त किए गए और मामले संख्या 189/2010 में लंबित दावे से अलग है।

18] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. हमने विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है

पार्टियों के लिए और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

13. उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में अपने फैसले को आधार बनाया है

लिखित याचिका की अनुमति देना और विद्वत सी. बी. आई. न्यायाधीश द्वारा दिनांक 1 के आदेश द्वारा स्वीकार की जा रही अंतिम रिपोर्ट पर प्रतिवादी के पक्ष में लौह अयस्क को जारी करने का निर्देश देना। उच्च न्यायालय ने आगे ध्यान दिया है कि इस न्यायालय ने 07.09.2012 पर सीबीआई को अवैध रूप से जांच करने का निर्देश दिया

किस निर्देश के अनुसरण में एस. आई. टी. का गठन किया गया और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 10 और 15 रिट याचिका को अनुमति देने के लिए उच्च न्यायालय का पूरा विचार है। निर्णय के पैराग्राफ 8 से 15 को निकालना उपयोगी है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

" 8. तदनुसार, एक विशेष जांच दल (एस. आई. टी., संक्षेप में)

राज्य द्वारा नियुक्त। उन्होंने एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें

रिट याचिकाकर्ता का पक्ष। अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है।

विद्वान सी. बी. आई. न्यायाधीश द्वारा 15 दिसंबर, 2015 के एक आदेश द्वारा।

9. विद्वान अधिवक्ता श्री के. एन. फणींद्र इसके लिए निर्देश चाहते हैं - अपने ग्राहक के पक्ष में सामग्री जारी करना।

10.श्री वी. जी. भानुप्रकाश, विद्वान अतिरिक्त सरकार

अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि चोरी का मामला लंबित है और इसलिए, जब्त सामग्री याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी नहीं की जा सकी।

11. एस. आई. टी. द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, हम

के पक्ष में लौह अयस्क को छोड़ने के लिए कोई बाधा नहीं मिलती है

याचिकाकर्ता। एक सूची तैयार की जानी चाहिए और उसके बाद,

लौह अयस्क रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किया जाएगा,

तुरंत। पूरी प्रक्रिया को चार सप्ताह तक पूरा करना होगा।

12. इसलिए रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है।
13. श्री फणींद्र, इस स्तर पर, आशंका व्यक्त करते हैं कि

अधिकारी रॉयल्टी का दावा कर सकते हैं।

14. जब सामग्री बंदरगाह क्षेत्र में होती है, तो यह माना जाता है कि रॉयल्टी

पहले से ही भुगतान किया जा चुका है, अन्यथा परिवहन परमिट नहीं होता दिया गया है। इसलिए उनकी आशंका निराधार है।

15. हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

एसडी /

मुख्य न्याय

एसडी /

जज "कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। वी. एम/एस। वेदांत लिमिटेड और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

14. एस. आई. टी. द्वारा की गई जाँच अपराध सं. 2/2014 के रूप में दर्ज की गई थी। प्रत्यर्थी ने अपने संकलन में धारा 91 Cr.P.C के तहत जारी एक नोटिस के प्रबंध निदेशक/निदेशक को दायर किया है।

मेसर्स सेसा गोवा लिमिटेड, वर्तमान में मेसर्स वेदांता लिमिटेड (प्रतिवादी)। दिनांकित 21.08.2014 की सूचना इस न्यायालय के आदेश और अपराध सं. के पंजीकरण को संदर्भित करती है और प्रतिवादी को दिनांकित 21.08.2014 को जारी किए गए नोटिस के शुरुआती पैराग्राफ को निकालना उपयोगी हैः

कर्नाटक लोकायुक्ता

विशेष जांच दल

नहीं। एसपी2/सी. आर./02/2014/एस. आई. टी./के. एल. ए./03

तारीखः

21.08.2014

पुलिस की सूचना

(यू/एस 91 Cr.P.C.)

एस. खनिज उद्यम लिमिटेड सं. 49,3 वीं मंजिल खनीजा भवन, रेस कोर्स रोड,) विशेष जांच दल, ए. टी. आई. सी. के कार्यालय में 30.8.2014 पर <आई. डी. 2] बजे अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होंगे। भवन ,
पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, हेब्बल, बैंगलोर निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/आंकड़ों के साथ। उक्त अधिकारी जानकारी के डेटा/टेबल/चार्ट की सॉफ्ट कॉपी भी ले जा सकता है।

जैसा कि नीचे बताया गया है।

15. यह उपरोक्त कार्यवाही में था कि अंतिम रिपोर्ट थी

08.10.2015 पर जमा करें। प्रत्यर्थी ने अपराध संख्या 2/2014 में बैंगलोर शहर में XXXII अतिरिक्त शहर नागरिक और सत्र न्यायाधीश और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के लिए विशेष न्यायाधीश के आदेश पत्र की एक प्रति दायर की है, जिसमें अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई है और अदालत ने शिकायतकर्ता को 15.12.2015 द्वारा वापस करने योग्य नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया है। 15.12.2015 पर, अपराध सं. 2/2014 में अदालत ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

18] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" श्री मंजुनाथ अन्निगेरी, अधीक्षक के नाम से शिकायतकर्ता

पुलिस का विशेष जांच दल, कर्नाटक लोकायुक्ता, बेंगलुरु मौजूद है और प्रस्तुत करता है कि उसने उन रिकॉर्डों को देखा है जिनसे पता चलता है कि जांच के समापन पर सभी अभियुक्तों के खिलाफ कोई मामला नहीं बना है। वह प्रस्तुत करता है कि उसे 'बी' रिपोर्ट को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने अभिलेखों को देखा है। यह देखा गया है कि के अनुसार

जाँच अधिकारी, इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। 'बी' रिपोर्ट को देखने के बाद मैंने पाया कि सभी अभियुक्तों के खिलाफ आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है और तदनुसार 'बी' रिपोर्ट स्वीकार की जाती है।

(वी. जी. बोपैया)

XXIII ए. सी. सी. और स्प्ल. न्यायाधीश,

बैंगलोर सिटी "।

16. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि अंतिम रिपोर्ट जिसे 15.12.2015 पर स्वीकार किया गया था, अपराध संख्या 2/2014 मामले में अंतिम रिपोर्ट थी जिसे 2009 की रिट याचिका संख्या 562 में पारित इस अदालत के आदेश के अनुसरण में एसआईटी द्वारा जांच के बाद दर्ज किया गया था और उपरोक्त मामले में प्रतिवादी के खिलाफ कोई अपराध नहीं पाया गया था।

17. 08.05.2015 का आदेश पारित किया गया था जिसमें अनुमति दी गई थी

2014 की विशेष सी. सी. संख्या 268/2013 और सी. सी. संख्या 11,14,15,36,37,38,53 और 54 में राज्य की धारा 451/457 Cr.P.C के तहत आवेदन, जिसका उल्लेख आदेश के परिचालन भाग में ही किया गया है। यह उपयोगी है कि

दिनांकित 08.05.2015 आदेश के परिचालन भाग को निकालें जो है

निम्नलिखित प्रभावः

आदेश

राज्य सरकार यू/एस द्वारा दायर आवेदन। 451/457 से Cr.P.C, आवेदक/राज्य को निम्नलिखित शर्तों के साथ ई-निविदा के माध्यम से जब्त किए गए लौह अयस्क का निपटान करने की अनुमति दी जाती है और

शर्तेंः 1. संपत्ति की नीलामी ई-टेंडर के माध्यम से सरकार द्वारा गठित 'निगरानी समिति' की देखरेख में होगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय।

उन्होंने कर्नाटक और ओआरएस के बारे में बताया। वी. एम/एस। वेदांत लिमिटेड और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

2. ई-निविदा नीलामी का संचालन सी. बी. आई. अधिकारियों को शामिल करके और लोकायुक्ता विभाग को सूचित करके किया जाएगा। 3. ई-निविदा नीलामी 56 लौह अयस्क के ढेरों में से प्रत्येक की गुणवत्ता और मात्रा के मापन के बाद ही आयोजित की जाएगी।

खानों और भूविज्ञान विभाग के माध्यम से अलग से।

4. ई-नीलामी 56 लौह अयस्क के ढेरों में से प्रत्येक के नमूने लेने के बाद की जाएगी, जिसके लिए पंचनामा तैयार किया जाएगा।

5. ई-नीलामी प्रक्रिया लौह अयस्क के निपटान पर है जिसे वीडियोग्राफी द्वारा कवर किया जा सकता है। 6. नीलामी की राशि तुरंत विशेष अदालत में जमा की जाएगी। सी. सी. सं. 268/2013 और राशि जमा करने के लिए दस्तावेज़ की एक प्रति संबंधित मामलों में रखी जानी चाहिए।

7. डी. एम. जी. संपत्ति के सफल बोलीदाता द्वारा परिवहन किए गए लौह अयस्क की सटीक मात्रा का रिकॉर्ड रखेगा।

इसकी प्रति स्प्ल में रखी जाए। सी. सी. नं. 11/14 , 14/14 , 15/14 , 36/14 , 37/14 , 38/14 , 53/14 & 54/14 . (निर्णय लेखक को निर्देशित किया गया, जिसे सही किए गए व्यक्ति द्वारा लिखा गया और फिर इस 8 मई 2015 को खुली अदालत में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित और घोषित किया गया),

एस. डी./- 08/05

(प्रदीप एस. बालिकल)

XXXII एडल। शहर

सिविल और सत्र

न्यायाधीश और एस. पी. न्यायाधीश

सी. बी. आई. मामलों के लिए,

बैंगलोर "

18. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 08.05.2015 दिनांकित आदेश था

एफ़. आई. आर. दिनांक 15.03.2010, अंकोला पुलिस थाना अपराध सं.2010. सी. आई. डी./सी. बी. आई. द्वारा जाँच के बाद आरोप पत्र दायर किए गए, जो

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। लौह अयस्क जिसे निर्देशित किया गया था

08.05.2015 के आदेश के अनुसार 20.03.2010 पर लौह अयस्क जब्त किया गया था।

18] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए अतिरिक्त दस्तावेजों में, धारा 451/457 Cr.P.C. दिनांक 08.03.2016 के तहत प्रत्यर्थी की ओर से दायर किए गए आई. ए. को दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड में लाया गया। उत्तरदाता के आवेदन में की गई प्रार्थना को निकालना उपयोगी है, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

प्रार्थना करें

इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय उपरोक्त आवेदन को अनुमति दे और इसके पक्ष में रिहाई का निर्देश दे।

आवेदक कंपनी, जिसमें आवेदक कंपनी से संबंधित लगभग 34,544 मीट्रिक टन लौह अयस्क है, जिसे 20.03.2010 पर जब्त कर लिया गया है और आवेदक कंपनी को आवंटित भूखंड पर पड़ा हुआ है। श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बेलेकेरी बंदरगाह में

न्याय और समानता के हित में क्षेत्र।

स्थानः बैंगलोर

तिथि 08.03.2016

आवेदक

आवेदक के लिए अधिवक्ता

[आनंद प्रकाश दुबे,

प्रमुख-वित्त,

(के. एन. फणींद्र) "

लौह अयस्क कर्नाटक]

19. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि लौह अयस्क की जब्ती अपराध संख्या 2/2014 के मामले में नहीं की गई थी जिसमें 15.12.2015 पर अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है।

बल्कि लौह अयस्क की जब्ती अलग-अलग कार्यवाही में थी जिसमें 08.05.2015 दिनांकित कार्यवाही आदेश पारित किया गया था। जब धारा 451/457 Cr.P.C के तहत राज्य द्वारा दायर एक आवेदन पर लौह अयस्क का विमोचन अलग कार्यवाही में था, तो इसका कोई प्रभाव या परिणाम नहीं था

अपराध सं. 2/2014 मामले में 15.12.2015 दिनांकित आदेश के माध्यम से अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति और उच्च न्यायालय ने 15.12.2015 पर स्वीकार की गई अंतिम रिपोर्ट के बल पर रिट याचिका को

अनुमति देने में त्रुटि की। हम निर्णय के पैराग्राफ 8 से 15 तक रिट याचिका को अनुमति देते हुए उच्च न्यायालय के पूरे विचार को पहले ही निकाल चुके हैं। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए केवल स्वीकृति पर भरोसा किया था सी. बी. आई. न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 15.12.2015 की अंतिम रिपोर्ट, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निचली अदालत द्वारा पारित दिनांकित 08.05.2015 के आदेश के संबंध में प्रासंगिक नहीं थी।

कर्नाटक और ओआरएस का राज्य। वी. एम/एस। वेदांत लिमिटेड और ओआरएस। [अशोक भूषण, जे।]

20. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने उच्च न्यायालय के बाद के फैसले को भी रिकॉर्ड में लाया है जहाँ उच्च न्यायालय ने

एक अन्य रिट याचिकाकर्ता द्वारा उसी आदेश दिनांक 08.05.2015 के खिलाफ दायर रिट याचिका ने उस रिट याचिकाकर्ता को उसके अस्तित्व और स्वामित्व अधिकारों को स्थापित करके जब्त किए गए लौह अयस्क को जारी करने के लिए न्यायिक आपराधिक न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता देने वाली रिट याचिका का निपटारा कर दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.11.2017 का उल्लेख रिट याचिका संख्या में किया गया है। 29527-29531 2017 की और रिट याचिका संख्या। 29881-29884 2017 का अनुलग्नक पी-11 के रूप में दाखिल किया गया।

21. पूर्वगामी चर्चा के परिणामस्वरूप, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का आदेश और निर्णय पूरी तरह से अस्थिर है और इसके द्वारा

एक तरफ रख दें। हालाँकि, हम देखते हैं कि प्रतिवादी के लिए XXXII अतिरिक्त सिटी सिविल के समक्ष एक उपयुक्त आवेदन दायर करने के लिए खुला रहेगा। और सी. बी. आई. मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश, बैंगलोर (सी. सी. एच. 34), जब्त किए गए लौह अयस्क के अस्तित्व और उस पर उसके स्वामित्व के अधिकार को स्थापित करके उसे जारी करने के लिए, जिस पर क्षेत्राधिकार द्वारा विचार किया जा सकता है।

कानून के अनुसार आपराधिक न्यायालय। आपराधिक अपील की अनुमति है।

अपील की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस